# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (खैरथल–तिजारा)

अध्याशितः– श्री मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

| प्रा0पत्र सं0 | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 24/18 | 25.04.2018 | 23-12-2024 |

उनवान

1. करीम खां पुत्र श्री जुम्मा जाति मेव निवासी जगता बसई तह0 किशनगढबास जिला हाल खैरथल–तिजारा राज0।
2. असरूदीन पुत्र श्री जुम्मा जाति मेव निवासी हाल सैहदपुर बाग वार्ड सं0 1, खैरथल तहसील हाल खैरथल जिला हाल खैरथल–तिजारा राज0। :–प्रार्थीगण

बनाम

1. कासम खां पुत्र श्री, जुम्मा खां जाति मेव निवासी हाल सैहदपुर बाग वार्ड सं0 1, खैरथल तहसील हाल खैरथल जिला हाल खैरथल–तिजारा राज0।
2. याकूब खां पुत्र जुम्मा जाति मेव निवासी हाल ठेकडा उलाहडी तहसील व जिला अलवर राज0।
3. भावती पत्नि श्री जुम्मा जाति मेव निवासी हाल सैहदपुर बाग वार्ड सं0 1, खैरथल तहसील हाल खैरथल जिला हाल खैरथल–तिजारा राज0। :–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0टी0ऐ0

उपस्थितिः– प्रार्थी की ओर से श्री कमरूदीन वकील।

अप्रार्थी की ओर से श्री धर्मदास वाधवानी वकील।

निर्णय

प्रार्थना पत्र के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः–

विवादित आराजी हम वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 की संयुक्त कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर हम सामलात में काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। तथा विवादित आराजी का आज तक कोई बटवारा तकासमा नही हुआ है। तथा जब तक कानुनन बटवारा नही हो जाता है तब तक विवादित आराजी के प्रत्येक इंच भाग पर प्रत्येक हिस्सेदार का हक हिस्सा निहित है। विवादित आराजी में हम वादीगण का 2/5 भाग व प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 3 का 3/5 भाग है। तथा इसी कदर से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो रहा है तथा लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे है।

प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 आये दिन हम वादीगण के सामलाती कब्जा काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करते रहते है। ऐसी सूरत में अब हम वादीगण की प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 के साथ सामलात में काबिज व दखिल होकर काश्त कारोबार करना संभव नही रहा है। इसलिए हम वादीगण अपने 2/5 भाग का तकासमा बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स कराकर अलग से कुर्रेजात कायम कराने व अलग से लगान खाता कायम कराने व अलग से दखल प्राप्त करने का हकदार है जिसके लिए दावा तकासमा दायर करना लाजिम आया है।

प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 विवादित आराजी का बिला वास्तविक तकासमा कराये ही विवादित आराजी को लब्बे सडक रास्ता अच्छी–अच्छी भूमि का जब्रन दीगर लोगों को विक्रय करना चाहते है तथा हम वादीगण को बेदखल करना चाहते है जिसकी ऐलानिया तौर पर प्रति0 सं0 1 लगायत 3 ने दिनांक 24.04.2018 को धमकी दी है। यदि वाकई

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

प्रतिवादीगण अपने इन नापाक मंसूबों को अमली जामा पहनाने में कामयाब हो गये तो हम वादीगण को हर सूरत में अजहद हानि होगी दीगर मुकदमा बाजी में उलझना पडेगा हकूक वदीगण पर आवरण छा जावेगा। जिसकी पूर्ति किसी भी कीमत में रूपयों में नही आंकी जा सकेगी। इसलिए हम ,वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाई चन्दरोजा पाबन्द कराने का हकदार है।

अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण को ता0 फैसला दावा जरिये हुक्मइम्तनाई चन्दरोजा पाबन्द किया जावे कि वो विवादित आराजी खसरा नं0 687 रकबा 0.5700हे0 वाके ग्राम बसई जगता तहसील किशनगढबास के 2/5 भाग से जब्रन वादीगण को बेदखल ना करे, ना ही कब्जा काश्त सामलाती में किसी भी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत पैदा करे। ना ही वादीगण की बोई हुई व कुदरती पैदावार को, नष्ट–भ्रष्ट करे, ना ही वादीगण को बेदखल करे। ना ही बिला तकासमा आराजी का कोई जुज किसी भी दीगर सख्स को रहन,बैय,हिबा,लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल करे, राजस्व रिकार्ड व मौका की यथावत स्थिति कायम रखे।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया तथा प्रार्थीगण को एकपक्षीय सुना जाकर दिनांक 25.04.2018 इस अमर का अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी किया गया कि अप्रार्थीगण आराजी ख0नं0 687 रकबा 0.5700हे0 वाके ग्राम बसई जगता तहसील किशनगढबास के 2/5 भाग की मौका व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे। अप्रार्थी सं0 3 की तामील पूर्ण हो चुकी बावजूद सूचना अप्रार्थी सं0 3 उपस्थित नही अतः अप्रार्थी सं0 3 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने मय वकील उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी ख0नं0 687 रकबा 0.5700हे0 पक्षकारान प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सम्भाग 1/5,1/5 भाग खातेदारी की संयुक्त आराजी हैं। आराजी को मुताबिक हिस्सा, पक्षकारों ने बहामी रूप से बांटा हुआ है तथा काश्त कर रहे है। प्रत्येक पक्ष (सह–खातेदार) को अपनी सह–खातेदारी की आराजी को उपयोग,उपभोग करने, हस्तान्तरण करने का पूरा–पूरा हक वो अधिकार है और मिन जवाबदारान ने अपने अधिकारों के तहत आराजी मुतनाजा का 2/5 भाग को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 25.04.2018 को कालू पुत्र कल्लूखां मेव निवासी वार्ड नं0 4 जोगीवाडा, खैरथल को विधिवत प्रतिफल प्राप्त करते हुए बेचान कर कब्जा सौंप दिया है। प्रत्येक पक्ष ने बहामी रूप से आराजी को बांटकर काश्त किया हुआ है। कानूनन बंटवारा कराये जाने हेतू केता/खरीददार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। मिन अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपने कानूनी अधिकारों का ही बेचान किया हैं। जिससे वादीगण/प्रार्थीगण को किसी प्रकार की हानि या क्षति होने का अन्देशा नही है। प्रार्थीगण को कभी बेदखल करने का अन्देशा पैदा नही था, ना ही भविष्य में ही बेदखल करने का भय है। मुताबिक मौका कब्जा अनुसार रिकार्डेड बंटवारा कराये जाने हेतू केता/खरीददार जरूरी फरीक मुकदमा है। प्रार्थीगण को कोई हानि या क्षति होने का अन्देशा नही है। प्रत्येक सह–खातेदार के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन। आयद वो प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण काबिले खारिज है। प्रार्थीगण मौखिक बंटवारानुसार काबिज आराजी है, फिर भी यदि रिकार्डेड बंटवारा प्रार्थीगण कराना चाहते है तो केता/खरीददार को फरीक बनाया जाना आवश्यक है। चूंकि वाद बेचान प्रतिवादीगण ने कब्जा आराजी केता को सौंप दिया है। प्रार्थीगण ने महज नामान्तकरण कार्यवाही को रूकवायें जाने हेतू मौजूदा वाद न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

श्रीमान में दायर किया है। वादीगण/प्रार्थीगण को किसी प्रकार की हानि या क्षति होने का अन्देशा नही है। इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा काबिले खारिज है।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 25.04.2018 को ताफैसला दावा स्थाई किये जाने का निवेदन किया। तथा वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 25.04.2018 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जमाबंदी संवत 2072–2075 के अवलोकन से साबित होता है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण हाल राजस्व रिकार्ड में खातेदार अंकित है तथा अप्रार्थीगण के जवाब अनुसार उक्त आराजी का बंटवारा बहामी तौर पर हो रहा है तथा पक्षकारान सह–खातेदार की हैसीयत से काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रस्तुत रजि0 बयनामा दिनांक 25.04.2018 के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि रिर्कोडेड खातेदार प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने विवादित आराजी ख0न0 687 रकबा 0.5700हे0 का 2/5 भाग का बेंचान कर दिया जिस पर बेंचानकर्ता के हक हकूक समाप्त हो जाते है और केता के हक हकूक उत्पन्न हो जाते है। चूंकि वकील वादी ने विवादित आराजी के बटवारे हेतु सहमति दी है और प्रतिवादी ने भी विवादित आराजी का बटवारा किया जाने की सहमति दी। परंतु अप्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के स्वयं के हिस्से के संबध में रहनबय या अन्य कोई निर्णय से प्रार्थीगण का हिस्सा किस प्रकार प्रभावित होता है इसके संबध मं कोई कथन प्रार्थीगण द्वारा नही किया गया ना ही कोई साक्ष्य या दस्तावेज इस बाबत प्रस्तुत किया। अतः प्रार्थीगण अप्रार्थीगण द्वारा की जा सकने वाली किसी भी क्षति को साबित करने में असफल रहा जबकि निषेधाज्ञा के प्रभाव से अप्रार्थी को अपने हिस्से की आराजी के संबंध में निर्णय नही ले पाने से क्षति संभावित है।

अतः राजस्व रिकार्ड के अवलोकन एवं बहस से स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्तकार है तथा आराजी पर कब्जे अथवा विशिष्ट हिस्से को लेकर विवाद नही है। अतः जिस हिस्से पर सहखातेदार निर्विवाद रूप से काबिज है उसेक संबंध मे कोई भी निर्णय लेने के लिए खातेदार को रोका जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अप
वादीगण के वाद व प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य अंकित नही किया कि पक्षकारान का कब्जे को लेकर कोई आपसी विवाद हो। चूंकि बटवारा दावे में पूर्ण प्रकिया के पश्चात ही सम्भव है वर्तमान स्टेज पर केवल सुविधा का संतुलन ही देखा जाना है। विवादित आराजी ख0नं0 687 रकबा 0.5700हे0 का 2/5 हिस्से को अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 द्वारा जर्ये रजि0 बयनामा खरीद किये जाने के कारण प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पक्ष में साबित होता है

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

ख0नं0 687 रकबा 0.5700हे0 का 2/5 के संबंध मे प्रार्थी द्वारा अस्थायी निषेद्याज्ञा को बनाये रखने हेतु कोई संतोषजनक कारण,विवरण या तथ्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है और न ही बहस मे इस प्रकार का कोई बयान किया है तथा विक्रय विलेख द्वारा क्रय की सम्पति/भूमि के सह–हिस्सेदार के विरूद्ध निषेद्याज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नही है। अतः सुविधा का संतुलन भी उक्त आराजी के संबंध में उसके पक्ष मे साबित है। बहस मे कब्जे एवं हिस्से को लेकर किसी प्रकार का विवाद उपस्थित नही बताया गया है। तथा कब्जे व हिस्से अनुसार विभाजन की सहमति उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः अपूर्णीय क्षति किसी पक्षकार को संभावित नही है। इस प्रकार पक्षकारान द्वारा बटवारे पर सहमति तथा विवादित आराजी के किसी विशेष भू–भाग पर कोई मजाहमत मदालखलत पैदा होना साबित नही होता अतः नापूर्ति होने वाली क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होती जिससे साबित होता है कि सुविधा का संतुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति फिलहाल अप्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए अन्तिरिम आदेश दिनांक 25.04.2018 को अपास्त किया जाना उचित व न्यायासंगत प्रतीत होता है।

**अतः आदेश है किः–**

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट0 बाबत आराजी ख0न0 687 रकबा 0.5700हे0 का 2/5 वाके ग्राम बसई जगता तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा राज0 प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा न्यायालय हाजा आदेश दिनांक 28.02.2024 अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर संलग्न मूल वाद रहे।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)